न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

ज0वि0 निगरानी संख्या— 105 / 2012—13

श्रीमती पार्वती देवी

—बनाम—

ग्राम सभा जौलीग्रान्ट आदि

उपस्थितिः श्री सुनील कुमार मुद्दू, आई0ए0एस0 अध्यक्ष

अधिवक्ता निगरानीकत्री : श्री अरूण सक्सेना।

अधिवक्ता उत्तरदाता राज्य सरकार : श्री सुबोध कुमार शर्मा, जिला शासकीय अधिवक्ता(रा0)

बावत

भूमि खसरा संख्या—1589 मि0 रकबा 0.154 है0
स्थित ग्राम जौलीग्रान्ट, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

निर्णय

यह निगरानी श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री प्यारे लाल, निवासी ग्राम जौलीग्रान्ट, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश, जनपद देहरादून ने अपर कलेक्टर(प्रशासन), देहरादून द्वारा वाद संख्या—07 / 2003—04 अन्तर्गत धारा—198(4) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सरकार बनाम गजेन्द्र सिंह में पारित आदेश दिनांक 31—03—2008 के विरूद्व प्रस्तुत की है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा चलाये गये गरीबी उन्मूलन अभियान के तहत भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक दिनांक 19—08—2000 को पारित प्रस्ताव संख्या—2 के कम में भूमि खसरा नम्बर—1589 रकबा 0.154 है0 भूमि परगनाधिकारी, ऋषिकेश द्वारा प्रदत्त स्वीकृति दिनांक 11—07—2002 के कम में निगरानीकत्री को पट्टा प्रदान किया गया था। यह कि निगरानीकर्ता पट्टा आवंटन के बाद लगातार आवंटित भूमि पर अध्यासन प्राप्त किये जाने के समय से ही खेती करती आ रही है तथा उसके एक भाग पर निर्माण कर अपने परिवार सहित वर्ष 2002 से ही निवासरत है। निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में यह भी कथन किया है कि धारा—198(4) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि यदि कलेक्टर भूमि के किसी आवंटन से क्षुब्ध व्यक्ति के आवेदन पत्र पर अथवा स्वप्रेरणा से जाँच करता है और यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवंटन अनियमित है तो वह आवंटन और पट्टा निरस्त कर सकता है। वर्तमान प्रकरण में निरस्तीकरण का आधार कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 31—03—2008 में प्रतिवादीगण(निगरानीकत्री) की ओर से कोई न्यायालय में उपस्थित न होना एवं प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्व हो सके कि उनका आवंटित भूमि पर कब्जा है। इस आधार पर उक्त पट्टेदार का पट्टा निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्षों को सुना तथा अवर न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवर न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31–03–2008 में पट्टा निरस्तीकरण का जो मुख्य आधार माना है उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि जिन 22 लोगों को भूमि आवंटित की गई, वह सभी अपात्र तस्दीक हुए तथा किसी भी आवंटी का स्थल पर कब्जा तस्दीक नहीं हो पाया तथा मौके पर भूमि खाली है एवं प्रतिवादीगणों की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्व हो सके कि उनका आवंटित भूमि पर कब्जा है। विद्वान अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में यह तो उल्लेख किया है कि सभी आवंटी अपात्र तस्दीक हुए लेकिन किन कारणों से अपात्र तस्दीक हुए उसका उल्लेख न तो अपने आदेश में किया है और न ही पत्रावली में उपलब्ध जाँच रिपोर्ट में है। जहाँ तक आवँटियों का मौके पर कब्जा न होने का प्रश्न है तो इस आधार पर पट्टे निरस्तीकरण की कार्यवाही धारा–186 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत की जानी चाहिए थी न कि धारा–198(4) के अन्तर्गत। इस तथ्य से जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) भी सहमत हैं। ऐसी दशा में अपर कलेक्टर द्वारा धारा–198(4) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत जो पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है वह विधिक दृष्टि से अनुकूल नहीं है। अतः निगरानीकर्त्री श्रीमती पार्वती देवी को भूमि खसरा नम्बर–1589 रकबा 0.154 है0 आवंटित पट्टा निरस्तीकरण आदेश दिनांक 31–03–2008 निरस्त किया जाता है।

स्थानः देहरादून

दिनांक 29 जनवरी, 2014

(सुनील कुमार मुट्टू)
अध्यक्ष।
राजस्व परिषद।